रजिस्ट्री सं.डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1061] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2007/भाद्र 7, 1929

No. 1061] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2007/BHADRA 7, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2007

का.आ. 1482(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड लि., इन्दौर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को, कच्चे पॉम तेल (सी पी ओ) में अग्रिम संविदा के संबंध में 31 अक्तूबर, 2007 से 31 अक्तूबर, 2009 तक के लिए मान्यता नवीनीकरण करते हैं।

2. एतद्द्वारा मान्यता का नवीनीकरण इस शर्त के अध्यधीन किया जाता है कि उक्त एक्सचेंज वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[फा. सं. 12/2/2003-आई टी]

डी. एस. कोलमकर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2007

S.O. 1[illegible](E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the National Board of Trade Ltd., Indore and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period from 31st October, 2007 to 31st October, 2009 in respect of forward contracts in Crude Palm Oil (CPO).

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/2/2003-IT]

D. S. KOLAMKAR, Economic Advisor

3647 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.